रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227347
CG-DL-E-03062021-227347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943
No. 308]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

xg e=ky;

vf/k lpuk

नई दिल्ली, 24 मई, 2021

lk-dk-fu- 386¼v½-&केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर संवर्ग (ग्रुप ख योधक पद) भर्ती नियम–2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर संवर्ग (ग्रुप ख योधक पदों) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये, राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर संवर्ग (ग्रुप 'ख' योधक पद) भर्ती नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम–4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट है।''

3. उक्त नियम, अनुसूची में–

(ए) निरीक्षक (ओवरसीयर) (सिविल) पद से संबंधित, क्रम संख्या 1 के सामने,–

(i) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः—

''वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर—7 (44900—142400 रूपये)''

(ii) स्तंभ 11 में, ''पदोन्नति द्वारा'' उप—शीर्षक के अधीनः—

क) ''वेतन बैंड 2, रूपये 9300—34800 के साथ ग्रेड वेतन 4200'' रूपये के शब्द, अंकों और अक्षरों के लिए, वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (35400 से 112400 रूपये) के शब्द, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

ख) 'टिप्पण—2' का लोप किया जाएगा।

(iii) स्तंभ 11 में, ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन'' उप—शीर्षक के अधीनः—

क) ''वेतन बैंड 2, रूपये 9300—34800 के साथ ग्रेड वेतन 4200'' रूपये के शब्द, अंकों और अक्षरों के लिए, वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (35400 से 112400 रूपये) के शब्द, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

ख) 'टिप्पण—4' का लोप किया जाएगा।

(बी) निरीक्षक (ओवरसीयर) (इलेक्ट्रिकल) पद से संबंधित, क्रम संख्या 2 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः—

''वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर—7 (44900—142400 रूपये)''

(ii) स्तंभ 11 में, ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन'' उप—शीर्षक के अधीनः—

क) ''वेतन बैंड 2, रूपये 9300—34800 के साथ ग्रेड वेतन 4200'' रूपये के शब्द, अंकों और अक्षरों के लिए, वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (35400 से 112400 रूपये) के शब्द, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

ख) 'टिप्पण—4' का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. एम.पांच—1/2019—स्था—7वां सीपीसी]

ललित कपूर,उप सचिव (कार्मिक—II)

fVIi.k %& अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ), तारीख 8 सितंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग—II, खण्ड—3, उप खण्ड (i) में तारीख 09 सितंबर 2014 को मूल नियम प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2021

G.S.R. 386(E).—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B Combatised Posts) Recruitment Rules, 2014, namely:-

(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B Combatised Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B Combatised Posts) Recruitment Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

"4. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule amended to these rules.";

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Inspector (Overseer) (Civil),-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

"Level in pay matrix
(4)
Level -7 (Rs. 44900-142400/-).";

(ii) in column (11), under the sub-heading "By promotion",-

(a) for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs 4200/-", the words, figures, brackets and letters "level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) 'Note 2' shall be omitted;

(iii) in column (11), under the sub-heading "Deputation/absorption",-

(a) for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/-", the words, figures, brackets and letters "level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix" shall be substituted.

(b) 'Note 4' shall be omitted.

(b) against serial number 2, relating to the post of Inspector (Overseer) (Electrical),-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
(4)
Level -7 (Rs. 44900-142400/-).";

(ii) in column (11), under the sub-heading "Deputation/absorption",-

(a) for the words, figures and letters "pay band-2, 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/-"; the words, figures, brackets and letters "level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) 'Note 4' shall be omitted.

[F. No. M.V-1/2019-Estt-7th CPC]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.II)

Note:- The principal rules were published ***vide*** notification number G.S.R. 639(E), dated the 08th September, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-section (i) dated the 9th September, 2014**.**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM